

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/162459/BJN/BIJNOR/1170/CFO

दिनांक: 20-06-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स GLOBAL MODERN ACADEMY VILL-NOORPUR HUSAIN BARHAPUR - MITHOPUR ROAD TEH-NAGINA DISTT-BIJNOR (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता -, BARHAPUR TO MITHOPUR ROAD, VILL-NOORPUR HUSAIN तहसील - NAGINA, प्लॉट एरिया 6771.75 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 1751.58 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
EDUCATIONAL BUILDING	2	0	8.10 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स GLOBAL MODERN ACADEMY VILL-NOORPUR HUSAIN BARHAPUR - MITHOPUR ROAD TEH-NAGINA DISTT-BIJNOR द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 25-06-2025 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री MOHD NAZIM के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 25-06-2025 से 24-06-2028 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स GLOBAL MODERN ACADEMY VILL-NOORPUR HUSAIN BARHAPUR - MITHOPUR ROAD TEH-NAGINA DISTT-BIJNOR अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स GLOBAL MODERN ACADEMY VILL-NOORPUR HUSAIN BARHAPUR - MITHOPUR ROAD TEH-NAGINA DISTT-BIJNOR अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : उक्त भवन वर्ष 2020, 2021 का निर्मित व संचालित है। उक्त भवन को अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र(पूर्णता (कंप्लीशन)अनापत्ति प्रमाण पत्र शासनादेश सं0-18/छ-पु0-8-2022/905-34-201टी0सी0 दिनांक 07-01-2022 एवं उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली - 2024 के उपबन्धों एवं FSSO नगीना की संस्तुति रिपोर्ट के आधार पर निर्गत किया जाता है। अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र विभाग को प्रेषित करे। उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली-2024 के नियम 40(5) के अनुसार सेटबैक का आंकलन नहीं किया जा रहा है सेटबैक के सम्बन्ध में सत्ता प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(AJAY KUMAR SHARMA)

[D8EA1A49D02BE05517D3180119D7E88B82365486]

25-06-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 25-06-2025

स्थान : BIJNOR